पत्रांक५९४२ आयु0क0उत्तरा0 / विधि–अनुभाग / वाणिज्य कर / देहरादून / 2008–09

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
दिनांक :: देहरादून २१, मार्च '09

समस्त डिप्टी कमिश्नर(क0नि0) वाणिज्य कर /
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर /
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Tele communication goods के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय "Bharat Sanchar Nigam Ltd vs Union of India (2006) 145, STC 91 (SC) दिया गया है इस निर्णय में SIM Card की बिक्री पर कर देयता के सम्बन्ध में भी टिप्पणी की गई है। SIM Card की बिक्री के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय निम्न प्रकार मत व्यक्त किया है –

"If the SIM Card is not sold by the assessee to the subscribers but is merely part of the services rendered by the service providers, then a SIM card cannot be charged separately to sales tax. It would depend ultimately upon the intention of the parties. If the parties intended that the SIM card would be a separate object of sale, it would be open to the Sales Tax Authorities to levy sales tax thereon------ However we emphasise that if the sale of a SIM card is merely incidental to the service being provided and only facilitates the indentification of the subscribers, their credit and other details, it would not be assessable to sales tax."

मा0 उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के समक्ष भी सिम कार्ड से सम्बन्धित मामला [Reliance Telecom Ltd vs Commissioner of Commercial Tax, Indore, (2009) 19 VST 164 164 (MP)] प्रस्तुत हुआ। इस मामलें में व्यापारी द्वारा स्कीम के तहत मोबाइल फोन सिम कार्ड सहित दिये जाते थे। सिमकार्ड के खराब हो जाने पर दोबारा सिमकार्ड दिये जाने पर उसकी कीमत वसूल कर नया सिम कार्ड जारी किया जाता था।

विभाग द्वारा मोबाइल फोन व सिमकार्ड की बिक्री पर कर आरोपित किया गया। इस सम्बन्ध में मामला मा0 उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, इन्दौर बैंच के समक्ष प्रस्तुत हुआ। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा व्यापारी की याचिका अस्वीकार करते हुए निम्न प्रकार मत दिया गया –

"A propos of the first contention of the learned counsel that supplying of the handset to the subscribers was only an ancillary activity and not the main activity, suffice would be to say that service rendered by the appellant company would Be meaningless unless the receivers are available with the subscribers. The fact that the company did not insist the

–2–

subscribers to purchase a receiver from outside and use its SIM card clearly indicates the intention to the company to pass on to the customer the cellular phone as paart of the deal which constituted sale. It cannot be denied that the cellular phone had a market value and it was supplied to the customer, apparently not free of charge but for charge which constituted part of the package. In Anand Commercial Agencies [1997] 107 STC 586 the apex court considered a situation where bottles were supplied free of charge on understanding that they would be returned to the "dealer" with a stipulation that the amount of advance deposited would stand forfeited if the bottles were not returned within the prescribed period. This amount was treated as forming part of sale price and charged appropriately to tax."

मा0 व्यापार कर अधिकरण, मेरठ पी–2 मेरठ की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष भी सिमकार्ड की बिक्री पर कर देयता से सम्बन्धित मामला प्रस्तुत हुआ। (मैसर्स भारती एयरटेल लि0, मेरठ बनाम कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ 2009 NTN (Vol- 39) Tribunal-18)। इस मामलें मे व्यापारी द्वारा 18–06–06 तक सिमकार्ड की बिक्री पर कर दायित्व स्वीकार किया गया था। उसके उपरान्त इस बिक्री पर कोई कर दायित्व स्वीकार नहीं किया गया। जांच पर पाया गया कि 18–06–2006 तक व 18–06–2006 के उपरान्त सिमकार्ड के मूल्य में कोई अन्तर नहीं था।

मा0 अधिकरण द्वारा इस समबन्ध में निम्न प्रकार मत प्रकट किया गया – " जो सिमकार्ड टेलीकाल कम्पनी द्वारा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाता है, वह मोबाईल सेवा समाप्त होने पर ही वह सिमकार्ड ग्राहकों के पास ही बना रहता है तथा वह सभी ग्राहकों की सम्पत्ति हो जाती है। सिमकार्ड के खोने पर ग्राहक सिमकार्ड का मूल्य दोबारा सिमकार्ड टेलीकाम कम्पनी से प्राप्त कर सकते हैं तथा मोबाईल सेवा समाप्त हो जाने के उपरान्त भी सिमकार्ड ग्राहकों के पास बना रहता है, परन्तु उसका ऐक्टीवेशन समाप्त हो जाता है जिससे ग्राहक उक्त सिमकार्ड को दोबारा प्रयोग नहीं कर सकता है।
मोबाईल सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा ग्राहकों को जा सिमकार्ड उपलब्ध कराया जात है, उसमें उक्त दानों स्थितियों में सिमकार्ड का मूल्य ग्राहकों से चार्ज किया जाता है।" मा0 अधिकरण द्वारा सिमकार्ड के विरण को बिक्री का संव्यवहार मानकर कर आरोपित किये जाने को विधि सम्मत माना है।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त विभिन्न निर्णयों का भली–भांति अध्ययन करलें तथा कर–निर्धारण के समय नियमानुसार विधिक रूप से उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(वी0के0सक्सेना)
प्रभारी कमिश्नर, वाणिज्य कर
मुख्यालय,देहरादून।

5582

पृ0प0सं0 दिनांक :: उक्त ::

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2— महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।
3— अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून/हल्द्वानी
4— एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन रूद्रपुर।
5— एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/प्रर्वतन वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
6— समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार /काशीपुर /हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिऐशन/उद्योग व व्यापार संगठन के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7— ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी।
8— ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर।
9— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
10— श्री राकेश वर्मा, महासचिव, उत्तराखण्ड वाणिज्य कर सेवासंघ 2/5 आशीर्वाद एन्क्लेव देहरादून।
11— पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय, आई0आई0टी0 रूड़की ।
12— संख्या अनुभाग को निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई—मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
13— इन्टावैट इन्फो प्रा0 लि0 4 फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13, आर सिधुआ मार्ग मुम्बई 400001।
14— नेशनल लॉ हाउस बी—2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।
15— नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस—15/5 राजनगर गाजियाबाद।
16— लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।
17— कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
18— स्थापना अनुभाग मुख्यालय।
19— डिप्टी कमिश्नर (उ0न्या0कार्य0) वाणिज्य कर नैनीताल।
20— दि होल सैल डीलर्स एसोशिएशन 14, आढ़त बाजार, देहरादून।
21— विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

प्रभारी कमिश्नर, वाणिज्य कर
मुख्यालय,देहरादून।